फर्द अहकाम

रामजीलाल व अन्य बनाम / कमलेश

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 12/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	21/07/25	सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की कोई मान्य/औपचारिक आपत्ति ही प्रस्तुत की गई है। अतः अवसर प्रस्तुत करने बहस/आपत्ति प्रतिवादी-1 बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते उचित आदेश बाबत कुरेजात रिपोर्ट / निर्णय दिनांक 28/07/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	28/7/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी-1 की ओर से बावजूद प्राप्ति कुरेजात रिपोर्ट की प्रति के, कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई मान्य/औपचारिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही कुरेजात रिपोर्ट का किसी भी स्तर पर व किसी भी रूप में कोई प्रभावी खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं. 533, 615, 616 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 2.15 वाके ग्राम बीलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर के [illegible] आमेर की [illegible] अनुसार [illegible] किया जाता [illegible] व तलाश [illegible] अनुज हिस्सा रहेगा। निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है।	P.F.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

रामजीलाल व अन्य बनाम / कमलेश

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 12/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	28/7/25	पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:15:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) आमेर मुख्यालय** व इजलास **डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 12/2025 **निर्णय दिनांक : 28.07.2025**

1. रामजीलाल पुत्र ओकर लाल रैगर जाति रैगर
   निवासी एमकेबी 385 रैगरो का मोहल्ला जगतपुरा जयपुर।
2. वासुदेव पुत्र बाबूलाल भाण्ड जाति भाण्ड
   निवासी रामगढ सेडोतान तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
3. हंसराज महेन्द्र पुत्र ललिता प्रसाद खटीक जाति खटीक
   निवासी 441, चार दरवाजा बाहर, मण्डी खटीकान जयपुर।

वादी

बनाम

1. कमलेश पुत्र किशोर जाति धोबी
   निवासी ग्राम बीलपुर वाया चन्दवाजी तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

..प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रतिवादी की ओर से बावजूद प्राप्ति कुरेजात रिपोर्ट की प्रति के, कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई मान्य/औपचारिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही कुरेजात रिपोर्ट का किसी भी स्तर पर व किसी भी रूप में कोई प्रभावी खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 533, 615, 616 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 2.1500 है. वाके ग्राम बीलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर के संदर्भ में तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादीगण अन्तिम डिकी किया जाता है। प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट व संलग्न नक्शा निर्णय व डिकी का अजूज हिस्सा रहेगा।

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	कमलेश पुत्र किशोर हि. 1/15 जाति धोबी सा. देह खातेदार	533	0.2300	डहरी 2	1.96
		615	0.0100	गै.मु. चाह	00.00
2	रामजीलाल पुत्र ओंकार लाल हि. 2/15 जाति रैगर नि. MKB 385 रैगरों का मोहल्ला जगतपलुरा खातेदार	616	1.9100	चाही 2 जाव 2	28.95
3	वासुदेव पुत्र बाबुलाल हि. 2/5 जाति भांड नि. रामगढ सेडोतान तह. सोजत जिला पाली खातेदार				
4	हंसराज महेन्द्र पुत्र ललिता प्रसाद हि. 2/5 जाति खटीक नि. मकान नं. 441 चार दरवाजा बाहर मण्डी खटीकान जयपुर खातेदार				
	कुल किता	3	2.1500	–	30.91

कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्र.स.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	कमलेश पुत्र किशोर हि. पूर्ण जाति धोबी सा. देह खातेदार	533/1	0.1434		
	कुल किता	1	0.1434		
	1.रामजीलाल पुत्र ओंकार लाल हि. 14/100 2.वासुदेव पुत्र बाबूलाल हि. 43/100 3.हंसराज महेन्द्र पुत्र ललिता प्रसाद हि. 43/100	615 616 533/2	0.0100 1.9100 0.0866		
	कुल किता		2.0066		

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.07.[illegible] को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
ओहदा मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:15:33 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	2.00 2.00		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	2.00	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस)

वाद संख्या :12/2025 **निर्णय दिनांक : 28.07.2025**

1. रामजीलाल पुत्र ओकर लाल रैगर जाति रैगर
   निवासी एमकेबी 385 रैगरो का मोहल्ला जगतपुरा जयपुर।
2. वासुदेव पुत्र बाबूलाल भाण्ड जाति भाण्ड
   निवासी रामगढ सेडोतान तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
3. हंसराज महेन्द्र पुत्र ललिता प्रसाद खटीक जाति खटीक
   निवासी 441, चार दरवाजा बाहर, मण्डी खटीकान जयपुर।

वादी

बनाम

1. कमलेश पुत्र किशोर जाति धोबी
   निवासी ग्राम बीलपुर वाया चन्दवाजी तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

..प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण की ओर से वाके ग्राम बीलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी ख. नं. 533, 615, 616 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 2.1500 है. के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त उल्लेखित भूमि के अन्तर्गत वादीगण का 14/15 हिस्सा दर्ज अंकित/निहित है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्सो अनुसार निहित है। वर्णित वाद अधीन आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा पक्षकारान आपसी सहमति से मनबंट अनुसार विभाजन कर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा हिस्सा अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे है। भूमि का विधि अनुसार विभाजन नहीं होने से वादीगण द्वारा प्रतिवादी से निरन्तर भूमि के विधिक विभाजन हेतु निवेदन किया जाता रहा है, परन्तु प्रतिवादी द्वारा निरन्तर टालमटोल किया जाता रहा है तथा हाल स्थिति अनुसार भूमि के विधिक विभाजन के अभाव में ही भूमि को विकय, हस्तान्तरण करने तथा मौके की स्थिति को परिवर्तित करने पर आमादा है तथा इस कम में भूमि के विशिष्ट भू–भाग को विकय, हस्तान्तरण करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है जबकि विधिक प्रावधानुसार प्रतिवादी को भूमि के विधिक विभाजन के अभाव में विकय, हस्तान्तरण तथा मौका स्थिति परिवर्तन का कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त संदर्भ में वादी के विरोध करने पर प्रतिवादी द्वारा वादीगण को धमकिया दी जाती है तथा बाहुबल के आधार पर विशिष्ट भू–भाग व कीमती भू भाग पर जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल कर भूमि के विकय हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिससे वादीगण को अपनी भूमि व अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। अतः वाद वादीगण स्वीकार/डिकी किया जाकर उल्लेखित भूमि वादग्रस्त का पक्षकारान के निहित हिस्सा अनुसार व कब्जे काश्त के दृष्टिगत भूमि के विधिक विभाजन का आदेश पारित फरमाया जावें। तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह उक्त उल्लेखित भूमि के विधिक विभाजन के अभाव के भूमि के विशिष्ट भू भाग का बेचान आदि ना करें।

वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र के संदर्भ/समर्थन में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता सं. 35 वाके ग्राम बीलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर की प्रमाणित (ऑनलाईन) प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार उल्लेखित वाद अधीन भूमि आराजी ख.नं. 533, 615, 616 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 2.1500 है. के अन्तर्गत वादीगण का 14/15 हिस्सा दर्ज अंकित है।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वादपत्र में वर्णित अभिकथनों के संदर्भ में जवाब/किसी प्रकार की उज्र आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत नोटिस जारी किये गये। जिसके कम में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दिनांक 25.03.2025 को [illegible] तथा दिनांक 01.05.2025 को ज़वाब वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:15:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाबदावा [illegible] तथ्य अथवा कोई सारवान आपत्ति बाबत कथन नहीं करते हुए भूमि पर कब्जा मात्र का कथन किया गया है तथा यह भी कथन किया गया है कि वादी का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा वादी द्वारा जालसाजी पूर्वक राजस्व प्रविष्टियों में अपना नाम दर्ज करवाया गया है जबकि भूमि पर एकमात्र कब्जा प्रतिवादी सं. 1 का ही प्रचलित है एवं वादीगण जबरन मिन प्रतिवादी सं. 1 के कब्जे को समाप्त कर भूमि से बेदखल करना चाहते है। जिस उदेश्य मात्र से वाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे कब्जा काश्त के अभाव में वाद वादीगण निरस्तनीय है तथा वादीगण भूमि का विभाजन कराने का अधिकार नहीं रखते है। अतः वाद वादीगण खारिज फरमाया जावें।

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अपने जवाब वादपत्र के अभिकथनों के संदर्भ/समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के अनुसार प्रकरण के मात्र विभाजन के अनुतोष से संबंधित होने तथा अपेक्षित अनुतोष के संदर्भ में कोई मान्य विधिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से जटिल औपचारिक प्रक्रिया के स्थान पर सहजतापूर्वक प्राथमिक डिक्री बाबत उभयपक्षकारान की बहस सुना जाना उचित समझा गया। जिसके बाबत उभयपक्षकारान अधिवक्तागण भी कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करते हुए बहस प्राथमिक डिक्री सुने जाने बाबत सहमति/अनापत्ति व्यक्त की जाने पर उभयपक्षकारान की बहस बाबत वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने पर सुनी गई।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने पर सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेज का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के प्रस्तुत अभिकथनों व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेज जमाबंदी के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट हुआ कि वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित पक्षकारान के हिस्सानुसार भूमि के विधिक विभाजन के परिपेक्ष्य में वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके संदर्भ में राजस्व रिकॉर्ड के दृष्टिगत कोई विधिक त्रुटि प्रदर्शित नहीं होती है तथा प्रतिवादीगण के कथन औपचारिक व अमान्य है। जिनका अभिलिखित सहखातेदारिता अनुसार भूमि के विधिक विभाजन के तथ्यों से कोई संबंध नहीं है, ना ही उक्त अभिकथनों के संदर्भ में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से कोई मान्य विधिक/औपचारिक साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादी सं. 1 के अभिकथन घोषणात्मक अनुतोष के वाद व तदनुसार ही काउन्टर क्लेम के विषय है जो उक्त संदर्भ में प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। जिससे तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरणाधीन भूमि के संदर्भ में विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत तथा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति व सुनवाई अनुसार कुरेजात रिपोर्ट तलब की जाकर उक्त क्रम में प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट पर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई/उज्र आपत्ति पर सुनवाई अनुसार आपत्ति व प्रकरण का निस्तारण उचित समझते हुए वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार आमेर को वाद अधीन भूमि के विधिक विभाजन के संदर्भ में पक्षकारान को विधिवत पूर्व सूचित करते हुए व पक्षकारान की मौके पर उपस्थिति व उपयुक्त सुनवाई अनुसार आवागमन व अन्य मूलभूत सुविधाओं व कब्जा काश्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रावधानानुसार उपयुक्त विभाजन करते हुए कुरेजात प्रस्ताव न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसके अनुसरण में तहसीलदार आमेर की ओर से दिनांक 11.06.2025 को कुरेजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति भी प्रतिवादी को दिनांक 26.06.2025 को दिलाई गई। जिसके पश्चात निरन्तर अवसरों उपरान्त भी प्रतिवादी की ओर से कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। अतः चूंकि प्रतिवादी की ओर से बावजूद प्राप्ति कुरेजात रिपोर्ट की प्रति के, कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई मान्य/औपचारिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही कुरेजात रिपोर्ट का किसी भी स्तर पर व किसी भी रूप में कोई प्रभावी खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 533, 615, 616 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 2.1500 है. वाके ग्राम बीलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर के संदर्भ में तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट व संलग्न नक्शा निर्णय व डिक्री का अजूज हिस्सा रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को खुले न्यायालय को सुनाया गया।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:15:33 IST
Reason: SelfAttested